न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 37/2018

प्रार्थीगण

1. जालमसिंह पुत्र भैरूसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र भैरूसिंह
3. मुलसिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 17 वर्ष नावालिग जरिये कुदरती वलिया माता जसुकंवर
4. जसुकंवर पत्नी भैरूसिंह सभी कौम राजपुत निवासी जीवराजसिंहनगर तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 10.06.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थीगण के दादा/सुसर स्व. हमीरसिंह के पाम से वक्त सैटलमेन्ट में ग्राम बालेसर सत्ता वर्तमान राजस्व ग्राम पृथ्वीराजनगर में स्थित खसरा नम्बर 1211 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नम्बर 1212 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 1213 रकबा 12.08 बीघा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 6.16 बीघा, खसरा नम्बर 1234 रकबा 24.05 बीघा, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 1312 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नम्बर 1313 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 1315 रकबा 2.06 बीघा भूमि व वर्तमान राजस्व जीवराजसिंहनगर में स्थित खसरा नम्बर 2377 रकबा 0.08 बीघा, उम्मेदनगर में स्थित खसरा नम्बर 1514 रकबा 24.17 बीघा, खसरा नम्बर 1538 रकबा 22.18 बीघा, शहीदपेपसिंहनगर में स्थित खसरा नम्बर 815 रकबा 8.11 बीघा, खसरा नम्बर 822 रकबा 39.06 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त खसरान में प्रार्थीगणों के दादा/सुसर स्व. हमीरसिंह पुत्र मेघसिंह नाम दर्ज था जो सही था परन्तु सम्वत् 2023 से 2026 की जमाबन्दी में तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की भुलवंश त्रृटी से हमीरसिंह पुत्र चिमनसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि हमीरसिंह के पिता का नाम मेघसिंह है और चिमनसिंह सगा भाई था। उक्त त्रृटी आज दिन तक चलती आ रही है। इस कारण से प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित करवाने से वंचित होना पड रहा है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 815 व 822 की भूमि में बिना किसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

Scanned by CamScanner

ार के चलता प्रार्थीगण के दादा/ससुर स्व. हमीरसिंह पुत्र मेघसिंह का नाम छुट गया है जिसे सुधार किये जाने हेतु प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गयें। अप्रार्थी की क से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-हल्का पटवारी द्वारा स्व रेकर्ड का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के दादा/ससुर का वास्तविक नाम रसिंह पुत्र मेघसिंह है। जो बाद में मानवीय भुलवंश हमीरसिंह पुत्र चिमनसिंह दर्ज हो गया। नाम किया जाना एवं छुटा नाम जोड़ा जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी, र्थीगण के जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र के तथ्य सिद्ध करने में प्रार्थी अधिवक्ता सफल रहे अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बालेसर सत्ता वर्तमान राजस्व ग्राम पृथ्वीराजनगर में थत खसरा नम्बर 1211 रकबा 4.04 बीघा, खसरा नम्बर 1212 रकबा 1.06 बीघा, खसरा नम्बर 213 रकबा 12.08 बीघा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 6.16 बीघा, खसरा नम्बर 1234 रकबा 24.05 बीघा, खसरा नम्बर 1309 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 312 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नम्बर 1313 रकबा 2.04 बीघा, खसरा नम्बर 1315 रकबा 2.06 बीघा भूमि व वर्तमान राजस्व जीवराजसिंहनगर में स्थित खसरा नम्बर 2377 रकबा 0.08 बीघा, उम्मेदनगर में स्थित खसरा नम्बर 1514 रकबा 24.17 बीघा, खसरा नम्बर 1538 रकबा 22.18 बीघा भूमिमें हमीरसिंह पुत्र चिमनसिंह के स्थान पर हमीरसिंह पुत्र मेघसिंह नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है चुंकि हमीरसिंह पुत्र मेघसिंह का देहान्त होने से तहसीलदार बालेसर इनके प्रथम विधिक रिसान की जॉच करते हुए विधिक वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें। इसके साथ ही शहीदपेपसिंहनगर में स्थित खसरा नम्बर 815 रकबा 8.11 बीघा, खसरा नम्बर 822 रकबा 39.06 बीघा भूमि में स्वं हमीरसिंह पुत्र मेघसिंह का नाम त्रृटि वंश छुट जाने के कारण उक्त खसरान में स्वं हमीरसिंह पुत्र मेघसिंह के प्रथम विधिक वारीसान के नाम दर्ज किये जानेके आदेश दिये जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहेगे।आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेपित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(कंचन राठौड)

उपखण्ड अधिकारी

एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर

Scanned by CamScanner